न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष– आशीष श्रीवास्तव

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2893–तीन / 14 विरूद्ध आदेश दिनांक 28.8.14 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बिजावर प्रकरण कमांक 96 / अपील / 2012–13.

लल्लू तनय भूरे दीक्षित
निवासी ग्राम कदोंहा तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म0प्र0 ——— आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती कमला उर्फ कमलकुंवर बेवा छोटेलाल
निवासी ग्राम बिजावर तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म0प्र0 ——— अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0 के0 श्रीवास्तव)

(अनावेदक के अभिभाषक एम0 पी0 भटनागर)

आ दे श

(आज दिनांक 10–12–.2015 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिस संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी बिजावर जिला छतरपुर द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 28.8.14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि अनावेदिका श्रीमती कमला उर्फ कमलकुंवर बेवा छोटेलाल दीक्षित निवासी ग्राम बिजावर के द्वारा ग्राम बिजावर में स्थित अपने सहखाते की भूमि खसरा न0 187 से 799 कुल किता 15 रकबा 3.109 है0 पर सहखाते में दर्ज पति छोटेलाल दीक्षित पिता दौलतराम (हिस्सा 1/2) के फौत हो जाने पर मृतक छोटेलाल की पत्नी ने मात्र एक वारिस व उत्तराधिकारी होने के नाते वाद भूमि के 1/2 हिस्सा पर नामांतरण के लिये म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत तहसीलदार बिजावर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । इस पर न्यायालय तहसीलदार द्वारा प्र0क0 24/अ–6/12–13 पंजीबद्ध कर इश्तहार का प्रकाशन किया गया जिस पर निगराकार लल्लू दीक्षित पिता भूरे दीक्षित निवासी ग्राम कंदोहा तहसील राजनगर ने दिनांक 6.5.13 को आपत्ति प्रस्तुत की। उनके द्वारा आवेदन में कहा गया कि मृतक छोटेलाल पिता दौलतराम दीक्षित उसके सगे चाचा थे, वह संयुक्त परिवार में निवास करते थे, तथा दवा आदि की व्यवस्था वह खाने की व्यवस्था करता था उसी से प्रसन्न होकर के उसके पक्ष में गवाहों के समक्ष छोटेलाल ने नोटरी से वसीयतनामा लेख कराया था जिसके आधार पर वह भूमि पर नामांतरण चाहता है । प्राप्त आवेदनों के जवाब में अनावेदिका के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर कहा गया है कि मृतक छोटेलाल ने वाद भूमि के 1/2 हिस्से का कोई वसीयतनामा नहीं किया है, और लल्लू दीक्षित द्वारा पूर्व में दिनांक 27.2.13 को नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जो आदेश दिनांक 27.2.13 से निरस्त हो चुका है। तहसीलदार बिजावर द्वारा उनके इस प्रकरण कमांक 24/अ–6/12–13 में पारित आदेश दिनांक 30.7.13 के माध्यम से अनावेदिका कमला के पक्ष में नामांतरण स्वीकृत किया गया जिस से परिवेदित होकर निगराकार लक्ष्मण ने न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बिजावर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसमें दिनांक 28.8.14 को पारित अन्तरिम आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में यह निगरानी दायर हुई है ।

3– प्रकरण में मेरे द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्को पर विचार किया गया तथा उपलब्ध अभिलेखों का गंम्भीरता से अध्ययन किया गया ।

4– आवेदक के अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से वही तर्क दोहराये गये हैं जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमो में लिखा है कि मृतक छोटेलाल विवादित भूमि के 1/2 भाग के भूमिस्वामी एवं अधिपत्यधारी थे और उन्हें अपने हिस्से की संपत्ती का वसीयत करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। उनका यह भी कहना था कि वसीयतकर्ता छोटेलाल का दिनांक 15.7.12 को निधन हो गया था जब भी आवेदक उक्त भूमि पर भूमिस्वामी अधिपत्यधारी की हैसियत से काबिज था। आवेदक अधिवक्ता का यह भी कहना है कि उन्होंने वसीयतनामे के आधार पर नामांतरण किये जाने की आपत्ति प्रस्तुत की थी किन्तु तहसीलदार द्वारा बगैर परीक्षण किये आपत्ति निरस्त कर दी। उनके द्वारा निवेदन किया गया कि निगरानी स्वीकार की जावे ।

5– अनावेदिका के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में बताया गया है कि प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के यहां गुणदोष के आधार पर निराकृत नहीं हुआ है तथा प्रकरण वहां लंबित रखने की भावना से संबंधित अनुविभागीय अधिकारी का प्रकरण इस न्यायालय में संलग्न कराया गया है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी के यहां सुनवाई नहीं हो पा रही है, तथा इस प्रकरण का इस न्यायालय में निगरानी से कोई लेना देना नहीं है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि है कि पूर्व में भी एक निगरानी प्रकरण कमांक 1565–तीन/14 राजस्व मण्डल द्वारा निराकृत किया जा चुका है जो अनुविभागीय अधिकारी बिजावर के इसी प्रकरण कमांक 96/अपील/12–13 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 19.5.14 के विरूद्ध उद्भूत हुआ था, जिसमें राजस्व मण्डल द्वारा पारित अन्तिम आदेश दिनांक 23.5.14 से अनुविभागीय अधिकारी बिजावर को उनके इसी अपील प्रकरण कमांक 96/अपील/12–13 में गुणदोष के आधार पर तीन माह में निराकरण करने के आदेश दिये गये थे। किन्तु उसके बाद, न्यायालयीन व्यवस्था को भ्रमित एवं उसका दुरूपयोग

करने के प्रयोजन से निगराकार लक्ष्मण द्वारा राजस्व मण्डल में अन्य निगरानी तहसीलदार बिजावर के प्रकरण कमांक 82/बी–121/12–13 में पारित आदेश दिनांक 17.4.13 के विरूद्ध प्रस्तुत कर दी, जो राजस्व मण्डल में प्र0क0 1970–दो/13 पर दर्ज हुई और उसमें अन्तरिम आदेश दिनांक 26.6.14 से अनुविभागीय अधिकारी बिजावर के प्रकरण कमांक 96–अपील/12–13 का अभिलेख आहूत कर लिया गया। इसके परिणामस्वरूप, अनुविभागीय अधिकारी बिजावर, राजस्व मण्डल के प्रकरण कमांक 1565–तीन/14 के आदेश दिनांक 23.5.14 के अनुपालन में, अपने प्रकरण कमांक 96/अपील/12–13 कातीन माह में निराकरण कर पाने से अवरूद्ध हो गये, और अभी तक अवरूद्ध हैं। अतः, अब यह निगरानी प्रकरण यहीं समाप्त करके अनुविभागीय अधिकारी को उनका अभिलेख अविलम्ब लौटाया जाए, ताकि वे राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 23.5.14 का पालन तीन माह की शेष अवधि में अब कर सकें। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी निरस्त की जावे ।

6–मेरे द्वारा प्रकरण में सलग्न अभिलेख का बारीकी से अध्ययन किया गया तथा विद्वान अधिवक्तागण के तर्को पर गम्भीर विचार किया गया । इसके आधार पर मैं यह पाता हूँ कि, अनावेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गये तर्क के अनुसार राजस्व मण्डल के प्रकरण कमांक निगरानी 1565–तीन/14 में पारित आदेश दिनांक 23.5.14 जिसमें राजस्व मण्डल ने अनुविभागीय अधिकारी बिजावर को उनका प्रकरण कमांक 96/अपील/12–13 गुणदोष पर तीन माह में निराकृत करने के लिये निर्देशित किया था, का पालन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस कारणवश नहीं किया जा सका है क्योंकि उनके (अनुविभागीय अधिकारी के) प्रकरण कमांक 96/अपील/12–13 का अभिलेख राजस्व मण्डल के प्रकरण कमांक 1970–दो/13 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 26.6.14 से आहूत कर लिया गया था, जबकि राजस्व मण्डल का प्र0 क0 निगरानी 1970–दो/13 तहसील बिजावर के प्रकरण कमांक 82/बी–121/12–13 के आदेश दिनांक 17.4.13 के विरूद्ध होने के कारण अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण

कमांक 96/अपील/12–13 से सीधे तौर पर शायद संबद्ध नहीं था और जबकि उसका राजस्व मण्डल में नहीं बुलाया जाना इसलिये भी जरूरी था ताकि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मण्डल के प्रकरण कमांक निगरानी 156–तीन/14 के आदेश दिनांक 23.5.14 का समय सीमा में पालन कर सकें । वर्तमान में अनुविभागीय अधिकारी बिजावर के यहां प्रकरण कमंक 96/अपील/12–13 तथा अनुविभागयी अधिकारी द्वारा उसमें राजस्व मण्डल के इसी आदेश दिनांक 23.5.14 के विरूद्ध आगे की कार्यवाही करते हुये उनका अन्तरिम आदेश दिनांक 28.8.14 के माध्यम से प्रकरण अपीलार्थी साक्ष्य हेतु अगली पेशी दिनांक के लिये नियत किया है, जिसमें कोई त्रुटि एवं अवैधानिकता नहीं है।

7– अतः उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचना के प्रकाश में मैं इस निगरानी प्रकरण को राजस्व मण्डल से खारिज करने का आदेश पारित करता हूँ। साथ ही अनुविभागीय अधिकारी बिजावर के प्रकरण कमांक 96/अपील/12–13 का अभिलेख उन्हें (अनुविभागीय अधिकारी को) राजस्व मण्डल में अविलंब लौटये जाने का आदेश देता हूँ तथा अनुविभागीय अधिकारी का आक्षेपित अन्तरिम आदेश दिनांक 28.8.14 यथावत रखते हुये उन्हें (अनुविभागीय अधिकारी को) निर्देशित करता हूँ कि वे राजस्व मण्डल के प्रकरण कमांक निगरानी 1565–तीन/14 के आदेश दिनांक 23.5.14 का पालन करते हुये उनके प्रकरण कमांक 96/अपील/12–13 का निराकरण अब, इस आदेश की उनको संसूचना एवं उनके प्रकरण कमांक 96/अपील/12–13 का अभिलेख उनको वापस प्राप्त होने की दिनांक से अधिकतम 3 माह के भीतर पूर्ण करना सुनिश्चित करें ।

आदेश पारित । प्रकरण समाप्त । ऊपर लिखे अनुसार अभिलेख एवं इस आदेश की प्रति अनुविभागीय अधिकारी बिजावर को अविलम्ब उपलब्ध कराई जाए। पक्षकार सूचित हों । दा0 द0 हो ।

आशीष श्रीवास्तव
सदस्य
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर